

शहडोल जिले में जैविक खेती उत्पादन की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ : एक भौगोलिक

अध्ययन

A Geographical Study of Challenges and Prospects of Organic Farming Production in Shahdol District

डॉ. एस.एम. प्रजापति

प्राध्यापक, भूगोल विभाग

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार, जिला—शहडोल
(म.प्र.)

सारांश (Abstract)

जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक एवं जैविक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान युग में जब रासायनिक कृषि के दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहे हैं, जैविक खेती न केवल मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण में बल्कि कृषकों की आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, जो अपनी जनजातीय विविधता, सघन वन क्षेत्र एवं सोन नदी के उपजाऊ मैदानों के लिए जाना जाता है, जैविक खेती की विशिष्ट संभावनाएँ विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में शहडोल जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में जैविक खेती उत्पादन की वर्तमान स्थिति, इससे जुड़ी चुनौतियाँ एवं संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि जिले में जैविक खेती का क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ़ रहा है परंतु प्रमाणीकरण, बाजार संपर्क, आदानों की उपलब्धता एवं वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियाँ इसके समग्र विस्तार में बाधक

हैं। यदि शासकीय योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन एवं कृषक जागरूकता बढ़ाई जाए तो शहडोल जिला प्रदेश का अग्रणी जैविक खेती केन्द्र बन सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords)

जैविक खेती, शहडोल जिला, भौगोलिक अध्ययन, जैविक प्रमाणीकरण, जनजातीय कृषि, मृदा स्वास्थ्य, जैव-विविधता, परम्परागत कृषि विकास योजना, कृषि उत्पादकता, सतत् कृषि।

1. प्रस्तावना-

भारत की कृषि सभ्यता का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। परंतु हरित क्रांति के पश्चात् रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने भारतीय कृषि भूमि को गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाई है। मृदा उर्वरता में गिरावट, भूजल प्रदूषण, जैव-विविधता का ह्रास एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और कृषकों को पुनः प्राकृतिक कृषि की ओर उन्मुख किया है।

जैविक खेती (Organic Farming) एक समेकित कृषि प्रणाली है जो भूमि, जल, पादप एवं पशु संसाधनों के संतुलन को बनाए रखते हुए रासायनिक आदानों के बिना टिकाऊ उत्पादन करती है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन महासंघ (IFOAM) के अनुसार जैविक खेती पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से टिकाऊ कृषि तंत्रों पर निर्भर करती है।

मध्य प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में जैविक खेती नीति लागू की तथा वर्ष 2019-20 में 'ऑर्गेनिक स्टेट' बनने का संकल्प प्रकट किया। शहडोल जिला, जो विंध्यन पठार एवं सतपुड़ा पर्वतश्रेणी के मध्य स्थित है, अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं—सघन वन, जनजातीय परम्पराएँ, सोन एवं जोहिला नदियों की जलापूर्ति—के कारण जैविक खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन जिले में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति, विद्यमान चुनौतियों एवं भावी संभावनाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2. शोध पत्र के उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

प्रथम, शहडोल जिले की भौगोलिक परिस्थितियों एवं कृषि-पर्यावरण का विवेचन करना। द्वितीय, जिले में जैविक खेती के वर्तमान विस्तार एवं उत्पादन की स्थिति का आकलन करना। तृतीय, जैविक खेती के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना एवं उनका भौगोलिक विश्लेषण करना। चतुर्थ, शहडोल जिले में जैविक खेती की संभावनाओं को उजागर करना तथा इनके विकास हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना। पंचम, शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जैविक कृषि पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।

3. शोध पत्र का महत्व-

शहडोल जिला मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े एवं आकांक्षी जिलों में से एक है जहाँ जनजातीय कृषक समुदाय की बहुलता है। यहाँ की परम्परागत खेती पद्धतियाँ स्वाभाविक रूप से जैविक हैं, परंतु उन्हें व्यवस्थित एवं प्रमाणिक जैविक कृषि में परिणत करने का प्रयास अब तक पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। प्रस्तुत अध्ययन नीति-निर्माताओं, कृषि विभाग के अधिकारियों एवं शोधकर्ताओं को उपयोगी भौगोलिक आधार प्रदान करता है। यह शोध कार्य न केवल शहडोल जिले अपितु समान पारिस्थितिकी वाले अन्य जनजातीय जिलों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs)—विशेषतः लक्ष्य 2 (शून्य भूख) और लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन)—की प्राप्ति में यह अध्ययन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

4. शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है।

4.1 प्राथमिक स्रोत-

जिले के सातों विकासखण्डों—शहडोल, बुढ़ार, जयसिंहनगर, सोहागपुर, ब्यौहारी, गोहपारू एवं जैतपुर—से उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन (Purposive Sampling) विधि द्वारा 210 जैविक कृषकों का साक्षात्कार एवं प्रश्नावली सर्वेक्षण किया गया। प्रत्येक विकासखण्ड से न्यूनतम 30 कृषकों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के अधिकारियों, आत्मा परियोजना के समन्वयकों एवं प्रगतिशील कृषकों से भी केंद्रित साक्षात्कार (Focus Group Discussion) आयोजित किए गए।

4.2 द्वितीयक स्रोत-

द्वितीयक स्रोतों में जिला कृषि एवं उद्यान विभाग के अभिलेख, मध्य प्रदेश कृषि संचनालय के प्रतिवेदन, राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था (MPSOCA) के आँकड़े, कृषि जनगणना, जनगणना 2011 एवं 2021 (अनंतिम), केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदन तथा विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित अध्ययनों का उपयोग किया गया है।

4.3 विश्लेषण पद्धति-

एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी—माध्य, प्रतिशत वितरण, तुलनात्मक सारणियाँ—के माध्यम से किया गया है। भौगोलिक वितरण को दर्शाने हेतु जिले के विकासखण्डवार आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

5. शहडोल जिले की भौगोलिक पृष्ठभूमि-

शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में 22°58' से 23°38' उत्तरी अक्षांश एवं 81°6' से 82°12' पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5,671 वर्ग किलोमीटर है। जिले की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश से, पूर्व में अनूपपुर एवं उमरिया जिलों से, दक्षिण में उमरिया एवं मंडला जिलों से तथा पश्चिम में उमरिया एवं डिंडोरी जिलों से लगती है।

भौगोलिक दृष्टि से जिले का अधिकांश भाग विंध्यन पठार पर स्थित है। सोन नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ—जोहिला, गोपद, बनास—जिले की कृषि भूमि को सींचती हैं। जिले की मृदा मुख्यतः लाल-पीली (Red-Yellow), लेटेराइट एवं एल्यूवियल प्रकार की है जो जैविक पदार्थों के समृद्धिकरण के लिए उपयुक्त है। औसत वार्षिक वर्षा 1,200 से 1,400 मिलीमीटर है जो खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त है। कुल जनसंख्या का लगभग 37% अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जिनमें गोंड, कोल, बैगा एवं पनिका प्रमुख हैं।

6. शहडोल जिले में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति-

शहडोल जिले में वर्ष 2022-23 के आँकड़ों के अनुसार कुल कृषि भूमि 2,28,540 हेक्टेयर है जिसमें से लगभग 14,370 हेक्टेयर (6.29%) पर जैविक खेती की जा रही है। यह अनुपात राज्य के औसत (5.8%) से कुछ अधिक है जो जिले में जैविक खेती की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

सारणी 1

शहडोल जिले में विकासखण्डवार जैविक खेती क्षेत्रफल (2022-23)

क्र.सं.	विकासखण्ड	कुल कृषि क्षेत्र (हे.)	जैविक खेती क्षेत्र (हे.)	प्रतिशत
1	शहडोल	42,350	3,180	7.51
2	बुढ़ार	38,720	2,640	6.82
3	जयसिंहनगर	35,490	2,210	6.23
4	सोहागपुर	31,680	1,890	5.97
5	ब्यौहारी	29,140	1,720	5.90
6	गोहपारू	26,850	1,480	5.51
7	जैतपुर	24,310	1,250	5.14
योग	सम्पूर्ण जिला	2,28,540	14,370	6.29

स्रोत: जिला कृषि विभाग, शहडोल, 2022-23 एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

उपर्युक्त सारणी 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शहडोल विकासखण्ड में जैविक खेती क्षेत्र सर्वाधिक (3,180 हे., 7.51%) है। इसका कारण यहाँ की उन्नत कृषि अधोसंरचना एवं जागरूक कृषक समुदाय है। बुढ़ार विकासखण्ड दूसरे स्थान पर है जहाँ वन क्षेत्र की निकटता के कारण जैविक आदानों की आसान उपलब्धता है। जैतपुर

विकासखण्ड में जैविक खेती का प्रतिशत (5.14%) सबसे कम है जो वहाँ की भौगोलिक विशमता एवं अपेक्षाकृत सीमित संसाधनों को दर्शाता है।

सारणी 2

शहडोल जिले में जैविक खेती के अंतर्गत फसलवार क्षेत्र एवं उत्पादन (2022-23)

क्र.सं.	फसल	बोया गया क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (क्विंटल)	उत्पादकता (क्वि./हे.)
1	धान (Oryza sativa)	4,820	1,02,346	21.23
2	गेहूँ (Triticum aestivum)	2,340	38,610	16.50
3	मक्का (Zea mays)	1,870	29,454	15.75
4	तुअर (Cajanus cajan)	1,420	16,240	11.44
5	उड़द (Vigna mungo)	980	9,114	9.30
6	सब्जियाँ (विविध)	1,680	41,328	24.60
7	औषधीय फसलें	1,260	18,900	15.00
योग	कुल	14,370	2,55,992	17.81

स्रोत: जिला उद्यान विभाग एवं म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था (MPSOCA), 2022-23।

सारणी 2 से स्पष्ट है कि जिले में जैविक खेती के अंतर्गत धान सर्वाधिक क्षेत्रफल (4,820 हे.) पर उगाई जाती है। सब्जियों की उत्पादकता (24.60 क्वि./हे.) अन्य सभी फसलों से सर्वाधिक है जो उनकी व्यावसायिक महत्ता को दर्शाती है। औषधीय फसलें, जो 1,260 हेक्टेयर पर उगाई जा रही हैं, भविष्य में उच्च मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक

संभावनापूर्ण फसल श्रेणी है। उड़द की उत्पादकता (9.30 क्वि./हे.) अपेक्षाकृत कम है जो मृदा नमी एवं जैविक नाइट्रोजन प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता इंगित करती है।

7. शहडोल जिले में जैविक खेती की प्रमुख चुनौतियाँ-

शहडोल जिले में जैविक खेती के विस्तार में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रस्तुत खण्ड में इन चुनौतियों का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

सारणी 3

शहडोल जिले में जैविक खेती की प्रमुख चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौती	प्रभाव/विवरण
1	जैविक आदानों की अनुपलब्धता	जिले में जैविक खाद, जैव-उर्वरक व जैव-कीटनाशकों की स्थानीय आपूर्ति अपर्याप्त है।
2	प्रमाणीकरण की जटिल प्रक्रिया	Participatory Guarantee System (PGS) व तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण लघु कृषकों की पहुँच से दूर है।
3	बाजार संपर्क का अभाव	जैविक उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार व उचित मूल्य श्रृंखला विकसित नहीं है।
4	संक्रमण काल की आर्थिक हानि	रासायनिक से जैविक खेती में परिवर्तन के प्रारंभिक 2-3 वर्ष उत्पादकता घटती है।
5	ज्ञान व प्रशिक्षण की कमी	कृषकों को जैविक तकनीकों—वर्मीकम्पोस्ट, नाडेप खाद, जीवामृत—की समुचित जानकारी नहीं।

6	सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता	जिले में वर्षा-आधारित कृषि की अधिकता जैविक फसलों की नियमित सिंचाई बाधित करती है।
7	ऋण व वित्तीय सहायता का अभाव	लघु कृषकों को जैविक खेती हेतु विशेष ऋण सुविधा व अनुदान सुलभ नहीं है।

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं कृषि विभाग, शहडोल, 2022-23।

7.1 जैविक आदानों की अपर्याप्त आपूर्ति-

जिले में वर्मीकम्पोस्ट, जैव-उर्वरक (राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पी.एस.बी.) एवं नीम-आधारित जैव-कीटनाशकों की स्थानीय उपलब्धता अत्यंत सीमित है। जिले में केवल 3 पंजीकृत वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ हैं जो 14,370 हेक्टेयर जैविक भूमि की माँग पूरी करने में सर्वथा अपर्याप्त हैं। कृषकों को जैविक आदान प्रायः जबलपुर या रीवा से मँगवाने पड़ते हैं जिससे लागत में वृद्धि होती है।

7.2 प्रमाणीकरण की जटिल एवं व्ययसाध्य प्रक्रिया-

जैविक उत्पाद को उच्च मूल्य पर बेचने के लिए प्रमाणीकरण अनिवार्य है। परंतु तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण अत्यंत महँगा (₹15,000-25,000 प्रति हेक्टेयर) एवं समय-सापेक्ष है। Participatory Guarantee System (PGS) एक सस्ता विकल्प है परंतु इसके प्रति जिले में जागरूकता का अभाव है। सर्वेक्षण में सम्मिलित 210 कृषकों में से केवल 38 (18.1%) के पास किसी प्रकार का जैविक प्रमाणपत्र था।

7.3 बाजार एवं मूल्य संपर्क का अभाव-

शहडोल जिले में जैविक उत्पादों के लिए कोई विशेष बाजार व्यवस्था नहीं है। अधिकांश कृषक अपने जैविक उत्पादों को साधारण बाजार में रासायनिक उत्पादों के समान मूल्य पर बेचने को विवश हैं। इससे उन्हें जैविक खेती से अपेक्षित प्रीमियम मूल्य (20-30% अधिक) प्राप्त नहीं होता और जैविक खेती अपनाएने का आर्थिक प्रोत्साहन क्षीण हो जाता है।

7.4 संक्रमण काल की कठिनाइयाँ-

रासायनिक से जैविक खेती में परिवर्तन के प्रारंभिक 2 से 3 वर्षों में उत्पादकता में 15-25% की गिरावट आती है। इस अवधि में कृषक को न तो रासायनिक खेती का लाभ प्राप्त होता है और न ही जैविक प्रमाणपत्र मिलता है। इस संक्रमण काल में वित्तीय सहायता का अभाव कई कृषकों को पुनः रासायनिक खेती की ओर वापस ले जाता है।

7.5 ज्ञान एवं प्रशिक्षण का अभाव-

जिले में जैविक कृषि तकनीकों—नाडेप खाद निर्माण, जीवामृत तैयार करना, बीजामृत उपचार, हरी खाद की फसलें, फसल चक्र—के प्रति कृषकों की जानकारी अत्यंत सीमित है। आत्मा परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण तो दिया जाता है परंतु इसकी पहुँच दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में अपर्याप्त है।

7.6 अनियमित वर्षा एवं सिंचाई की अपर्याप्तता-

शहडोल जिले में लगभग 82% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न होने से फसल की जल-माँग में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सोन, जोहिला नदियों पर लघु सिंचाई परियोजनाओं का अपर्याप्त विस्तार एवं नहरों का अनियमित रखरखाव जैविक कृषकों की समस्याओं को गंभीर बनाता है।

8. शहडोल जिले में जैविक खेती की संभावनाएँ-

चुनौतियों के बावजूद शहडोल जिले में जैविक खेती की विशाल संभावनाएँ विद्यमान हैं। इन संभावनाओं का उपयोग यदि नियोजित ढंग से किया जाए तो जिला प्रदेश का अग्रणी जैविक खेती केन्द्र बन सकता है।

सारणी 4

शहडोल जिले में जैविक खेती की प्रमुख संभावनाएँ

क्र.सं.	संभावना	विवरण/अवसर
1	विशाल वन क्षेत्र एवं जैव-विविधता	जिले का 40% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है जो जैविक खेती के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी प्रदान करता है।

2	जनजातीय कृषि ज्ञान का उपयोग	गोंड, बैगा, कोल जनजातियाँ परम्परागत कृषि पद्धतियों में पारंगत हैं जो जैविक खेती के अनुकूल हैं।
3	औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती	तुलसी, सतावर, अश्वगंधा, लेमनग्रास की खेती से उच्च मूल्य जैविक उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं।
4	परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)	केन्द्र सरकार की PKVY व MIP ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी 2018 से वित्तीय अनुदान प्राप्त संभव।
5	ई-कॉमर्स व निर्यात बाजार	जैविक उत्पादों की देश-विदेश में बढ़ती माँग से इंटरनेट-आधारित विपणन संभावनाएँ प्रबल हैं।
6	FPO एवं सहकारिता का गठन	किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से सामूहिक प्रमाणीकरण व विपणन लागत में कमी संभव।
7	पर्यावरण पर्यटन से जोड़ाव	अमरकंटक, सोन उद्गम, बान्धवगढ़ निकटता से जैविक कृषि पर्यटन (Agri-tourism) की संभावना।

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग, शहडोल, 2022-23।

8.1 विशाल वन क्षेत्र एवं जैव-विविधता-

शहडोल जिले का 40% से अधिक क्षेत्र (लगभग 2,350 वर्ग कि.मी.) वनाच्छादित है। यह वन क्षेत्र जैविक खाद हेतु पर्याप्त बायोमास, परागण-कारकों (Pollinators) की उपस्थिति, प्राकृतिक शत्रु-कीटों की बहुलता तथा स्वच्छ जल-स्रोत प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र के समीपवर्ती गाँवों की मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है जो जैविक कृषि के लिए आधार तैयार करती है।

8.2 जनजातीय पारम्परिक कृषि ज्ञान-

गोंड, बैगा, कोल जनजातियाँ परम्परागत रूप से बीज संरक्षण, मिश्रित फसल प्रणाली, पशु-कृषि समन्वय तथा वनस्पति-आधारित कीटनाशकों के उपयोग में दक्ष हैं। इस पारम्परिक ज्ञान (Traditional Ecological Knowledge) को आधुनिक जैविक कृषि के साथ एकीकृत करके एक समृद्ध जैविक कृषि प्रणाली विकसित की जा सकती है।

8.3 औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती-

जिले की जलवायु एवं मृदा अश्वगंधा, सतावर, बच, तुलसी, लेमनग्रास, पत्थरचट्टा जैसे औषधीय पौधों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इन फसलों की माँग आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग एवं निर्यात बाजार में निरंतर बढ़ रही है। जैविक प्रमाणित औषधीय फसलों से कृषक को सामान्य फसलों की तुलना में तीन से पाँच गुना अधिक आय प्राप्त हो सकती है।

8.4 शासकीय योजनाओं का लाभ-

सारणी 5

शहडोल जिले में जैविक खेती से संबंधित प्रमुख शासकीय योजनाएँ एवं लाभार्थी

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभार्थी (शहडोल)	लाभ/अनुदान
1	परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)	1,248	₹50,000 प्रति हे./3 वर्ष
2	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	864	जैविक प्रमाणीकरण सहायता
3	म.प्र. जैविक खेती नीति 2018	2,136	इनपुट सब्सिडी व बाजार सहायता
4	PM-KISAN (जैविक कृषक)	4,320	₹6,000 वार्षिक प्रत्यक्ष लाभ
5	आत्मा योजना (प्रशिक्षण)	680 (प्रशिक्षण)	निःशुल्क प्रशिक्षण व भ्रमण

स्रोत: जिला कृषि विभाग, शहडोल एवं म.प्र. कृषि संचनालय, 2022-23।

सारणी 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिले में PM-KISAN के अंतर्गत 4,320 जैविक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत 1,248 कृषकों को प्रति हेक्टेयर ₹50,000 तीन वर्षों में प्राप्त हो रहे हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और अधिक से अधिक कृषकों को इनसे जोड़ा जाए तो जिले में जैविक खेती का क्षेत्रफल अगले पाँच वर्षों में दोगुना किया जाना संभव है।

8.5 कृषि-पर्यटन एवं ई-विपणन की संभावना-

शहडोल जिला अमरकंटक (नर्मदा उद्गम) एवं बाणसागर बाँध के निकट स्थित है। इस भौगोलिक लाभ का उपयोग करते हुए जैविक कृषि फार्म को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों— Amazon, Flipkart, Jiomart, Organic India—के माध्यम से जैविक उत्पादों का सीधा विक्रय कृषकों को अधिकतम मूल्य दिला सकता है।

9. निष्कर्ष-

शहडोल जिले में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों एवं संभावनाओं के गहन अध्ययन के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। जिले में जैविक खेती का क्षेत्रफल 6.29% है जो राज्य औसत से अधिक है परंतु इसकी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने में अभी लंबा मार्ग शेष है।

जैविक आदानों की स्थानीय अनुपलब्धता, प्रमाणीकरण की जटिलता एवं बाजार संपर्क का अभाव जिले में जैविक खेती के विस्तार की सर्वप्रमुख बाधाएँ हैं। वहीं, जिले की विशाल वन संपदा, जनजातीय पारम्परिक ज्ञान, अनुकूल जलवायु एवं शासकीय योजनाओं की उपलब्धता इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ निर्मित करती हैं।

धान, सब्जियाँ एवं औषधीय फसलें जैविक खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। PKVY, MPSOCA एवं आत्मा योजना के समन्वित एवं प्रभावी क्रियान्वयन से जिले में जैविक कृषि आंदोलन को नई गति मिल सकती है। जिले के कृषकों में जैविक खेती के प्रति उत्साह एवं रुचि बढ़ रही है परंतु उन्हें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की महती आवश्यकता है।

10. सुझाव-

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।

सर्वप्रथम, प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम एक जैविक आदान केन्द्र (Organic Input Hub) स्थापित किया जाए जहाँ वर्मीकम्पोस्ट, जैव-उर्वरक एवं नीम उत्पाद सब्सिडीयुक्त दर पर उपलब्ध हों। द्वितीय, ग्राम पंचायत स्तर पर PGS (Participatory Guarantee System) समूहों का गठन किया जाए ताकि प्रमाणीकरण की लागत सामूहिक रूप से वहन की जा सके। तृतीय, शहडोल नगर में एक 'जैविक हाट' (Organic Market) की स्थापना की जाए जहाँ प्रमाणित जैविक उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचे जा सकें।

चतुर्थ, संक्रमण काल (Transition Period) के दौरान कृषकों को विशेष आर्थिक सहायता एवं बीमा कवर प्रदान किया जाए। पंचम, कृषि महाविद्यालय शहडोल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से जैविक खेती पर नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। षष्ठ, जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय भाषाओं में जैविक कृषि साहित्य तैयार किया जाए एवं रेडियो-टेलीविजन के माध्यम से प्रचार किया जाए। सप्तम, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को जैविक उत्पाद प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहित एवं वित्त-पोषित किया जाए।

संदर्भ सूची-

1. अग्रवाल, राजेश एवं वर्मा, सुनील (2019). मध्य प्रदेश में जैविक खेती: नीति एवं व्यवहार। कृषि अर्थशास्त्र शोध समीक्षा, 32(1), 45-58।
2. आत्मा परियोजना, शहडोल (2022-23). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2022-23। जिला कृषि विभाग, शहडोल।
3. जिला कृषि विभाग, शहडोल (2022-23). कृषि सांख्यिकी 2022-23। शहडोल: जिला कृषि कार्यालय।
4. तिवारी, अनिल कुमार (2020). विंध्यन पठार में जैव-विविधता एवं कृषि। भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
5. पाण्डेय, श्रीकांत एवं मिश्रा, प्रमोद (2021). जनजातीय क्षेत्रों में जैविक खेती की संभावनाएँ: मध्य भारत के संदर्भ में। भौगोलिक अनुसंधान, 59(2), 112-128।
6. म.प्र. कृषि विभाग (2018). मध्य प्रदेश जैविक खेती नीति 2018। भोपाल: म.प्र. शासन, कृषि विभाग।
7. म.प्र. कृषि संचनालय (2022). कृषि सांख्यिकी 2021-22। भोपाल: म.प्र. शासन।
8. म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था - MPSOCA (2023). जैविक प्रमाणीकरण आँकड़े 2022-23। भोपाल।
9. यादव, रामशरण (2018). सतत कृषि एवं पर्यावरण प्रबंधन। नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
10. शर्मा, ओ.पी. (2020). भारत में जैविक खेती: वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की दिशाएँ। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, 90(4), 673-682।



11. सिंह, हरिओम एवं त्रिपाठी, विजय (2022). शहडोल जिले का भौगोलिक परिदृश्य। रीवा: अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय।
12. Bhattacharya, P. & Chakraborty, G. (2005). Current Status of Organic Farming in India and Other Countries. *Indian Journal of Fertilizers*, 1(9), 111-123.
13. IFOAM (2021). *The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2021*. Bonn: FiBL & IFOAM.
14. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (2022). *Annual Report 2021-22*. New Delhi: Government of India.
15. Willer, H. & Lernoud, J. (2022). *The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends*. Research Institute of Organic Agriculture FiBL.

